(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या ४०/२०२१-राज्य कर

दिनांकः 🤈 जून 2022

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (दसवां संशोधन), नियम, 2021 है ।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 29 दिसम्बर, 2021 से लागू होंगे ।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
- (i) नियम 36 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगे।
 - "(4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इन्वॉइस या डेविट नोट्स जिसका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अतंर्गत दिया जाना जरूरी हो, से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक कि—
 - (क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर—1 में बाह्य आपूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे बीजक सुविधा देन का प्रयोग न किया गया हो; और
 - (ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेविट नोट्स का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—2ख में उक्त पंजीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।";

(ii) नियम 80 में, -

- (क) उपनियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
- "(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020—2021 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।";
 - (ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "(3क) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020—2021 के स्थान पर उक्त स्व—प्रमाणित समाधान विवरण 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा";
- (iii) नियम 95 के उपनियम (3) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर बीजक में उललिखित नहीं है ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी होगा यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और प्ररूप जीएसटीआरएफडी–10 में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई है ।";

- (iv) 1 जनवरी, 2022 से नियम 142 में,-
 - (क) उपनियम (3) में "माल और प्रवहण को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनों के भीतर लेकिन उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी करने से पहले" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा ;
 - (ख) उपनियम (5) में, "कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति" शब्दों के स्थान पर "संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति, जैसी भी स्थिति हो," शब्दों को रखा जाएगा ;
- (v) नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, 1 जनवरी, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली—144क. (1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकल्लन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा:

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ—साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अविध को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय, नीलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई—नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी—10 में नोटिस जारी किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (1) में वर्णित समयाविध के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा ।

(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले का नहीं होगा :

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ–साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अविध को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

- (4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहृत की जा सकेगी, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है।
- (5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को, नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अविध के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—11 में नोटिस जारी करेगा:

परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ—साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अविध को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा ।

- (6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और प्ररूप जीएसटी डीआरसी—12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- (7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है ।
- (8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी:

परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।"।

(vi) नियम 154 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 1 जनवरी, 2022 से रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"माल या प्रवहण और चल या अचल संपति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान.— 154.(1) व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,—

- (क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित की जाएगी ;
- (ख) इसके बाद यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के प्रति विनियोजित की जाएगी :
- (ग) इसके बाद इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिक्रमी से शोध्य किसी रकम के प्रति विनियोजित की जाएगी; और
- (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत है और जहां उक्त व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी:
- (2) उप—नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमों का अतिशेष का संदाय करना संभव नहीं है वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा ।
- (vii) 1 जनवरी, 2022 से नियम, 159 में-
 - (क) उपनियम (2) में,-
 - (अ) "कुर्की के आदेश की प्रति" शब्दों के पश्चात्, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी—22 में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (आ) "जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है ।" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (ख) उपनियम (3) में-
 - (अ) "और यदि कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "और यदि व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (आ) "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "ऐसे व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (4) में दो स्थानों पर आने वाले "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थानों पर "ऐसे व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;
- (घ) उपनियम (5) में "कुर्की के सात दिवसों के भीतर उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपित फाइल कर सकेगा" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप जीएसटीडीआरसी–22क में एक आपित फाइल कर सकेगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(viii) "प्ररूप जीएसटीडीआरसी—10" के स्थान पर 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 10

[नियम 144 (2) और 144क देखिएं]

अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन निलामी के लिए नोटीस मांग आदेश सं.

अवधि :

मेरे द्वारा आदेश......रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए तथा धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली प्रक्रिया पर उपगत अनुज्ञेय व्यय के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए कुर्क या करस्थम माल के विक्रय के लिए किया गया है ।

या

धारा 129 के अधीन प्रतिधारित या अभिग्रहीत माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय......रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है।

विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा होगा और माल तथा / या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी का अधिकार हक और हित होगा । और उक्त संपत्तियों से संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है वो संपत्तियां हैं जिन्हें प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

निलामी तारीख...... को.....बजे की जाएगी ।

प्रत्येक लॉट का मुल्य, विक्रय के समय या उचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशानुसार संदत्त किया जाएगा और भुगतान के व्यतिक्रम में माल और/या प्रवहण, निलामी और पुनः विक्रित के लिए पुनः रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	परिमाण
1	2	3

			-		
स्थानः			हस्ताक्षर		
तारीखः			नामः		
			पदनामः" ;		
(ix) 1 जनवरी, 2	2022 से प्ररूप ज	गेएसटी डीआरर	ती—11 में—		
,		नियम 144 (5)		ाब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ट (12) देखिएं" शब्द, अक्षर, अं	
	(ख) "माल" शब्द	के स्थान पर '	'माल और प्रवहण"	शब्द रखे जाएंगे ;	
(x) 1 जनवरी, 20	022 से प्ररूप जी	एसटी डीआरर्स	ो—12 में —		
(नियम 144 (5)		ब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्ष (12) देखिएं" शब्द, अक्षर, अं	
((ख) "माल" शब्दो	के स्थान जहा	ं कही भी आते हैं	"माल या प्रवहण" शब्द रखे ज	गएंगे ;
				भंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के भंतःस्थापित किए जाएंगे;	पश्चात
(xi) "प्ररूप जीए अर्थात् :–	सटीडीआरसी–22	!" के स्थान फ	र 1 जनवरी, 2022	2 से निम्नलिखित प्ररूप रखे	जाएंगे
		प्ररूप जीए	मटी डीआरसी–22		
		[नियम 1	59 (1) देखिए]		
संदर्भ संख्या.:					
तारीखः					
सेवा में					
नाम					
पता					
(बैंक / डाक घर / प्राधिकरण / अन्य			रजिस्ट्रीकृत कर	ने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय प	गरिवहन
घारा 83	के अधीन संपत्ति	की अनंतिम व्	_{टु} र्की		
यह सूचित किया मुख्य स्थान है जि है ।	जाता है कि १ ासकी रजिस्ट्रीक	गे / सुश्री रण संख्या	(नाम) जिन (जीएसटीआईए	का(पता) पर कारव न/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत	बार क कराधेर

यह सूचित किया जाता है कि श्री(नाम) निवासी(पता) जिनकी पैन संख्या और/या आधार संख्याहै, धारा 122 की उप—धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है।
उक्त अधिनियम की धाराके अधीन उक्त व्यक्ति पर शोध्य कर या किसी अन्य रकम को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं । विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का —
<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या>> है ।
या
पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>।
या
यान संख्या <<वर्णन>>
या
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करे) << (वर्णन) >>
राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं(नाम),(पदनाम) पूर्वोक्त खाता / संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूं ।
इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
या
ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।
हस्ताक्षर
नाम
प्रति (व्यक्ति का नाम)" ;
(xii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—23 में 1 जनवरी, 2022 से, — (क)" / स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी" ;

(ख) दोनों स्थानों पर आने वाले, "व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध लंबित कार्यवाहियां जो" शब्दों के स्थान पर, "अपेक्षित", शब्द रखा जाएगा ;

(xiii) प्ररूप एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के अधीन सारणी के स्थान पर, 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलेखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :--

"विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
(क)अनुज्ञात रकम	कर/उपकर					< योग>	<योग >
	ब्याज					< योग>	
	शास्ति					< योग>	
	फीस					< योग>	
	अन्य प्रभार					< योग>	
(ख)पूर्व जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 % किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए	कर/उपकर					< योग>	
ग)धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा शास्ति	कर/उपकर	A.				< योग>	

(xiv) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 जनवरी, 2022 से अंतःस्थापित कियां जाएगा, अर्थात :--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए"

[नियम 159 (5) देखs]

तारीख:

संदर्भ संख्या

प्रक्रप	जीएसटी	डीआरसी-22	में	आदेश	की	एआरएन	संख्या
सेवा	में,						
प्रधान	आयुक्त /	आयुक्त					
	(अधिकारिता)					

संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरूद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

एआरएन संख्या......द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी—22 में आदेश जारी किया गया है ।

संदर्भ पहचान संख्या	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	ब्वत / चालू / एफडी / आरडी / निक्षेप खाता संख्या
अनंतिम रूप से कुर्क यान	यान के ब्यौरे
कोई अन्य संपत्ति	ब्यौरे

2.	सीजीएसटी	नियम,	2017 के	नियम	159	(5)	के	उपबंधों	के	अनुसार,	并	निम्नलिखित	तथ्यों	और
परिस्थि	तियों के आध	गर पर	मेरा आक्षे	प प्रस्तुत	न कर	ता ह	1 2			0				

<<.....>>

<<-.अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

नाम-

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) -

पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलें में) –

स्थान -

तारीख -

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर" ।

टिप्पण : मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में अधिसूचना संख्या 3/2017-राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 में संख्या फा0 03(10)/वित्त (राजस्व<math>-I)/2017-18/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 37/2021-राज्य कर, तारीख 16 मार्च, 2022 द्वारा संख्या फा0 03(161)/वित्त (व्यय<math>-I)/2021-22/डीएस-I/172, तारीख 16 मार्च, 2022 द्वारा किया गया I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)

उप सचिव – I (वित्त) दिनांकः 🔗 जून 2022

सं.फा.03(**5**)/वित्त(व्यय- I)/2022-23/डीएस- I/*५८८*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव –I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 40/2021-State Tax

Dated: The 9 June, 2022

No. F.3(5)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ SS -In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 29th December, 2021.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,
 - (i) in rule 36, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely: -
 - "(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,-
 - (a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility; and
 - (b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in FORM GSTR-2B under sub-rule (7) of rule 60.";
 - (ii) in rule 80,-
 - (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020-2021 the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.";
 - (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the financial year 2020-2021 the said self-certified reconciliation statement shall be furnished along with the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.";

(iii) in rule 95, in sub-rule (3), after clause (c), the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2021, namely:-

"Provided that where Unique Identity Number of the applicant is not mentioned in a tax invoice, the refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available only if the copy of the invoice, duly attested by the authorized representative of the applicant, is submitted along with the refund application in FORM GST RFD-10.";

- (iv) in rule 142, with effect from the 1st day of January, 2022,-
 - (a) in sub-rule (3), for the words and letters, "fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance", the words, brackets and figures, "seven days of the notice issued under sub-section (3) of Section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (5), for the words, "tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax", the words, "tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned" shall be substituted;
- (v) after rule 144, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

"Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit.- 144A. (1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

- (2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in FORM GST DRC-10 clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale: Provided that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.
- (3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2): Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

- (4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in FORM GST DRC-11 requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:
 - **Provided** that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.
- (6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in FORM GST DRC-12.
- (7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
- (8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:

Provided that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature. ";

(vi) for rule 154, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

"Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property.—

- 154. (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or recovery of penalty payable under sub-section (3) of section 129 shall,-
 - (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
 - (b) next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;
 - (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
 - (d) the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;
 - (2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub-rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of

sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;

(vii) in rule 159, with effect from the 1st day of January, 2022,-

(a) in sub-rule (2)-

(A) after the words "copy of the order of attachment", the words, letters and figures "in FORM GST DRC-22" shall be inserted:

(B) after the words "Commissioner to that effect.", the words and figures, "and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3)-

- (A) for the words "and if the taxable person", the word "and if the person, whose property has been attached," shall be substituted;
- (B) for the words "by the taxable person", the words, "by such person" shall be substituted;
- (c) in sub-rule (4), for the words "the taxable person" occurring at both the places, the words "such person" shall be substituted;
- (d) in sub-rule (5), for the words brackets and figure ", within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection", the words, letters and figures "file an objection in **FORM GST DRC-22A**" shall be substituted;
- (viii) for "FORM GST DRC-10", the following form shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—

"FORM GST DRC - 10

[See rule 144(2)&144A]

Notice for Auction under section 79 (1) (b) or section 129(6) of the Act

Demand order no.:

Period:

Date:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs............. and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

Or

Whereas the goods or conveyance detained or seized under Section 129 are liable for sale or disposal in accordance with the provisions of sub-section (6) of Section 129 for recovery of penalty of Rs..... payable under sub-section (3) of section 129

and the expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance and other administrative expenses

The sale will be by public auction and the goods and/or conveyance shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The auction will be held on at... AM/PM.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods and/or conveyance shall be again put up for auction and resold.

Schedule

Serial No.	Description of goods or conveyance	Quantity
	2	3

Place: Signature
Date: Name
Designation: "

- (ix) in FORM GST DRC-11, with effect from the 1st day of January, 2022, -
 - (a) for the words, figures, letter and brackets "See rule 144(5) & 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;
 - (b) for the word "goods", the words "goods or conveyance" shall be substituted;
- (x) in FORM GST DRC-12, with effect from the 1st day of January, 2022-
 - (a) for the words, figures, brackets and letter "See rule 144(5) & 147(12)", the words, figures and brackets "See rule 144(5),144A and 147(12)" shall be substituted;
 - (b) for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or conveyance" shall be substituted;
 - (c) after the words, figures, brackets and letters "provisions of section 79(1)(b)/(d)", the words, figures and brackets "or section 129(6)" shall be inserted;
- (xi) for **FORM GST DRC-22**, the following form shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

"FORM GST DRC -22 [See rule 159(1)]

Reference No.:	Date
То	
Name	
Address	
(Bank/ Post Office/Financial I Regional Transport Authority/	nstitution/Immovable property registering authority/ Other Relevant Authority)
Provisional a	ttachment of property under section 83
It is to inform that M/s business at	s (name) having principal place of
	registration number as (GSTIN/ID), table person under the < <sgst cgst="">> Act.</sgst>
or	
of(address) bearing PANand/or Aadhaar No. person specified under sub-section (1A) of Section 122.
	a launched against the aforesaid person under section <<
	nount due from the said person. As per information artment, it has come to my notice that the said person has
	D/RD / depository >>account in your << bank/post citution>> having account no. << A/c no. >>;
or	
property located at <<	property ID & location>>.
or	
Vehicle No	< <description>></description>
or	
Others (please spec	cify)< <description>></description>
	nterests of revenue and in exercise of the r section 83 of the Act, I (name),

(de	esignation),	hereby	provisionally	attach
the aforesaid account / proj	perty.	•		

No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.

or

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.

Signature

Name

Designation

Copy to (person)"

- (xii) in FORM GST DRC-23, with effect from the 1st day of January, 2022,-
 - (a) after "/Immovable property registering authority", the following shall be inserted, namely:-
 - "/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority";
 - (b) for the words "proceedings pending against the defaulting person which warrants the", occurring at both the places, the words, "requirement of" shall be substituted;
 - (xiii) in **FORM APL-01**, in entry number 15, for the table under clause(a), the following table shall be substituted, with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	To	
	Tax/ Cess					< total >	
(a) Admitted amount	Interest					< total >	total
	Penalty					<total< td=""><td></td></total<>	

	Fees	tota
	Other charges	< total
(b) Predeposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)	Tax/ Cess	< total
(c) Predeposit in case of subsection (3) of section 129	Penalty	< total >";

(xiv) after FORM GST DRC-22, the following form shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

6

"FORM GST DRC – 22A [See rule 159(5)]

Reference No.: ARN No. of Order in FORM GST DRC-22:

Date:

The	Pr.	Commissioner/Commissioner
		(Jurisdiction)

Application for filing objection against provisional attachment of property

Who	ereas, an o	rder in FO	RM GS	ST I	DRC-22 has	been	n issued	for	prov	visio	nal at	tachm	ent of
the	following	property	under	the	provisions	of	section	83	of	the	Act	vide	ARN
No.													

operty id & location>>
saving/current/FD/RD/depository nt no>>
icle details>>
ails >>
_

2. In accordance with the provisions of Rule 159(5) of the CGST Rules, 2017, I hereb submit my objection on the basis of following facts and circumstances.	ij
•	
<<>>	
< <documents be="" to="" uploaded="">></documents>	
Verification	

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Name-GSTIN (in case of registered person)-PAN and/or Aadhaar No. (in case of others)-Place – Date – Signature of Authorized Signatory". Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published *vide* number F.3(10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017, and were last amended *vide* notification No. 37/2021 - State Tax, dated the 16th March, 2022 *vide* number F.3(161)/Fin(Exp-I)/2021-22/DSI/72 dated the 16th March, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

Dated: The / June . 2022

No. F.3(5)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 488

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

 The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(5)/Fin.(Exp.-I)/2022-23/DS-I/ GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I DIVISION) DEPARTMENT 4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SECRETARIAT I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

Dated: The 9th June, 2022

CERTIFICATE

It is hereby certified that the contents of the soft copy as well as the hard copy as given in Notification No. - 40/2021-State Tax bearing No. F.3(5)/Fin.(Exp.-I)/2022-23/DS-I/ // dated 9th June 2022 are the same, as per certification given by the Department of Trade & Taxes, Govt. of NCT of Delhi and also approved by the Competent Authority. A copy of the aforesaid notification has been e-mailed at gadegazette.delhi@nic.in in the (PDF/JPEG/JPG/PNG) as well as MS Word format.

(MANOJ KUMAR) DEPUTY SECRETARY-I +91 9873505644